प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}

1. जिला– भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, बाडमेर थानाः– सीपीएस एसीबी जयपुर वर्ष 2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या......350/2022 दिनांक......7/9/2022

2. (1) अधिनियम पी0सी0एक्ट धारा :–7 भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) अधिनियम 2018
(2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः–
(3) अधिनियम .... धाराये :–............
(4) अन्य अधिनियम व धाराये :– ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या......124......समय......6:00 P.M.
(ब) अपराध के घटने का दिन :– दिनांक 27.07.2022 समय सायं के समय
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 25.07.2022 समय 12.48 पी0एम0

4. सूचना की किस्म :– हस्तलिखित

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– चौकी से बदिशा दक्षिण पूर्व करीबन 150 किलोमीटर
(ब) पता :– परिवादी का रहवासीय मकान गांव कारलु तहसील भीनमाल जिला जालोर
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–

6. परिवादी/सूचनाकर्ता
(अ) नाम :– श्री नागजीराम
(ब) पिता का नाम :– श्री तलसाजी
(स) जन्मतिथि/वर्ष :– 62 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता :– भारतीय
(य) पाटपोर्ट संख्या :–............ जारी होने की तिथी............ (र) व्यवसाय :– खेती
(ल) पता :– निवासी गांव कारलू तहसील जसवन्तपुरा जिला जालोर मोबाईल नम्बर 9649079998

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–
श्री ब्रजमोहन मीना पुत्र श्री किशनलाल मीना जाति मीना उम्र 43 साल पेशा नौकरी निवासी आमलीपुरा पोस्ट गुदाचन्द्रजी, तहसील नादौती जिला करौली हाल ग्राम साविधर लाईनमैन (तकनिकी सहायक द्वितीय), कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जोधपुर डिस्कॉम जसवन्तपुरा जिला जालोर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारणः– कोई नहीं।

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–............

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य :– 45,000रुपये रिश्वत की मांग करना।

11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो)............

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

--सेवामे

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
बाड़मेर

विषय :– कानूनी कारवाई करने बाबत।

महोदय

निवेदन है कि मैं नागजीराम पुत्र श्री तलसाजी जाती पुरोहित निवासी कारलू तहसिल जस्वन्तपूरा जिला जालोर राजस्थान का अरजी ईस पकार है की मेरा कृष्सी कनकसन स्वीकृत हो रखा हैं जिनका डिमान्ड पिसले साल 15 जनवरी 2021 को भर दीया था जिनका विधुत पोल 3 तीन 6 महीने हुओ है डाल दीये है। लेकीन बाकी सारा सामान वह कृषि करनेकसन चालू करवाने के लिए में कई बार बिजली विभाग जस्वन्तपूर मे चक्कर काट सुका हू बिजली विभाग में क्ण्वण स्टाफ श्री जितेन्दरसिह मीण्णा ने स्थानीय लाईन मेन से लिखवाकर लाने के लिऐ कहा तब मे लाईन मेन श्री ब्रज मोहन मीणा से ईसके बारे में लिखने का कहा तथा सामान दिलवा कर कृषि कनेकस्न चालू करवाने के लिऐ बोला तो लिखने का मना किया बोला ईसके लिए कूछ आपको करना पडेगा। तथा अगर आप मूझे खर्चा पानी के लिऐ 50 हजार रुपये देते हो तो में आपका कृषि कनेकसन का बाकी सामान दिलवाकर फीटीग करके चालू करवा दुंगा ईस प्रकार की मुझसे 50 हजार रुपये की रीश्वत की की मांग रहा है। ईसलीए मे श्री ब्रज कीसोर मीणा लाईन मेन को रीश्वती रासी नी देकर ईनको रगें हाथो पकडवाना चाहता हूं

अतः कानूनी कार्यवाई करने की कुप्या करे

26–7–2022

महोदय
एसडी/– नागजीराम

एसडी/– रामनिवास
04.08.2022

एसडी/– नागजीराम
4–8–22

एसडी/– तिलोकसिंह
तिलोकसिंह
4–8–22

एसडी/– दशरथसिंह
(दशरथसिंह)
4–8–22

<u>कार्यवाही पुलिस दिनांक 25.07.2022 वक्त 12.48 पी0एम0 केम्प जोधपुर</u>

निवेदन है कि दिनांक 25.07.2022 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकार्य से जोधपुर मुख्यालय आया हुआ था। उस रोज समय 12.48 पी0एम0 पर ब्यूरो मुख्यालय के टोल फ्री वाट्सअप नम्बर 9413502834 पर परिवादी द्वारा शिकायत प्रस्तुत करने पर ब्यूरो मुख्यालय से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को शिकायर्तकर्ता के मोबाईल नम्बर 9030506070 प्राप्त हुए है एवं ब्यूरो मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए कि उक्त मोबाईल धारक भीनमाल जिला जालोर का निवासी है, जो गोपनीय कार्यवाही करवाना चाहता है, आप उक्त मोबाईल नम्बर पर वार्ता कर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाए, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा बाद राजकार्य वाट्सअप नम्बर पर प्राप्त परिवादी के मोबाईल नम्बर पर समय 16.46 पी0एम0 पर वार्ता की तो वार्ता करने वाले व्यक्ति ने स्वयं का नाम श्री रमेश पुरोहित निवासी भीनमाल जिला जालोर होना बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री रमेश पुरोहित को बताया कि मैं अभी जोधपुर से बाड़मेर जाने के लिए रास्ते में चल रहा हूँ, आपसे कार्यालय पहुच विस्तृत वार्ता करुंगा, जिस पर श्री रमेश पुरोहित ने सहमति प्रदान की। ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोधपुर से ब्यूरो चौकी बाड़मेर पहुचा। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल नम्बर से परिवादी श्री रमेश पुरोहित के मोबाईल पर वार्ता की तो श्री रमेश पुरोहित ने बताया कि उसके चाचा श्री नगजीराम पुत्र श्री तुलछाराम के कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया हुआ है, जिसकी डिमाण्ड राशि को जमा करवाये भी करीबन 1 वर्ष हो गया है, विद्युत विभाग ने विद्युत कनेक्शन

हेतु 3 विद्युत पोल डाल दिये है, किन्तु विद्युत कनेक्शन नहीं कर रहे है एवं विद्युत विभाग का लाईनमैन रिश्वत की मांग कर रहा है, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री रमेश पुरोहित को उसके चाचा श्री नगजीराम से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की वार्ता करवाने बाबत कहने पर मौके पर उपस्थित नागजीराम से अपने मोबाईल से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की वार्ता करवाई, जिसमें श्री नगजीराम ने भी श्री रमेश पुरोहित द्वारा बताये गये तथ्यो से अवगत करवाया एवं बताया कि विद्युत विभाग का लाईनमैन आज मौके पर आया था, जिस पर मैने उसे मेरा विद्युत कनेक्शन करने का बोला तो उसने कहा कि अभी इसमें कुछ विद्युत पोल एवं बहुत सारी विद्युत सामग्री और लानी होगी, उसके बाद ही विद्युत कनेक्शन होगा, जिसके लिए आपको मुझे 50,000रुपये मेरे एवं अन्य अधिकारियों के लिए देने पड़ेंगे, फिर मैं आपका सारा काम अपने स्तर से करवा दूंगा, नहीं तो आपका विद्युत कनेक्शन नहीं होगा, जिस पर मैने लाईनमैन को कहा कि मेरा पुत्र हैदराबाद में रहता है, मैं उससे वार्ता कर कल आपको बता दूंगा, जिस पर लाईनमैन ने कहा कि अगर कनेक्शन करवाना है तो हमे 50,000रुपये देने पडेंगे, तो ही कनेक्शन होगा। उसके पश्चात उक्त तथ्य मैने मेरे भतीज श्री रमेश पुरोहित को बताये एवं उक्त लाईनमैन को रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़वाने की कार्यवाही करवाने बाबत बताया, जिस पर मेरे भतीज ने एसीबी जयपुर के वाट्सअप नम्बर प्राप्त कर उक्त शिकायत प्रेषित की थी। मैं मेरे जायज कार्य की एवज में लाईमैन को रिश्वत नहीं देकर उसके विरुद्ध रंगे हाथो पकड़वाने की कार्यवाही करवाना चाहता हूँ। परिवादी श्री नगजीराम व श्री रमेश पुरोहित से हुई वार्ता से प्रथम दृष्टया रिश्वत राशि मांग का मामला बनना पाया जाने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री नगजीराम से उनके मोबाईल नम्बर पूछने पर उन्हौने स्वयं के मोबाईल नम्बर 9649079998 होना बताया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री नगजीराम व श्री रमेश पुरोहित को अवगत करवाया कि कल दिनांक 26.07.2022 को मेरे कार्यालय का कार्मिक श्री लालाराम कानि0 भीनमाल पहुच आपसे जरिये मोबाईल सम्पर्क कर लेगा, आप उसे आपका जायज कार्य करने की एवज में रिश्वत मांगने वाले लाईनमैने के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत प्रार्थना पत्र बंद लिफाफे में प्रस्तुत कर लाईनमैन के पास जाकर उसके रिश्वती राशि मांग बाबत वार्ता कर उक्त वार्ता को श्री लालाराम कानि0 द्वारा प्रस्तुत डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को हालात से अवगत करवाए एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरते। सायं करीबन 8.10 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री लालाराम कानि0 को कार्यालय में तलब कर कल दिनांक 26.07.2022 को परिवादी से सम्पर्क कर प्रार्थना पत्र प्राप्त करने एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप करवाने हेतु भीनमाल जिला जालोर जाने हेतु प्रातः 5.30 ए0एम0 पर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होने हेतु पाबंध किया।

दिनांक 26.07.2022 को श्री लालाराम कानि0 पूर्व पाबंध सुदा ब्यूरो चौकी बाड़मेर पर उपस्थित हुआ। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री नगजीराम एवं उनके भतीज श्री रमेश पुरोहित के मोबाईल नम्बर सुपूर्द कर ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर अलमारी से निकालकर खाली होना सुनिश्चित कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाने हेतु भीनमाल जिला जालोर जाने की हिदायत दी एवं श्री लालाराम कानि0 को बताया कि आप भीनमाल पहुच उक्त मोबाईल नम्बर पर परिवादीगण से वार्ता कर उनसे बंद लिफाफे में शिकायत प्राप्त कर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर के संचालन की समझाईश कर परिवादीगण के साथ जाकर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर अग्रिम हालात से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाये, जिस पर श्री लालाराम कानि0 को परिवादीगण से बंद लिफाफे में प्रार्थना पत्र प्राप्त करने एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु डिजिटल टेप रिकार्डर सहित भीनमाल जिला जालोर की तरफ रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जरिये मोबाईल परिवादी से वार्ता कर अवगत करवाया कि श्री लालाराम कानि0 ब्यूरो चौकी से रवाना हो चुका है, जो भीनमाल पहुच आपसे सम्पर्क कर लेगा, जिसे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री लालाराम कानि0 के मोबाईल नम्बर परिवादी को अंकित करवाये गये। दिनांक 27.07.22 को 6.18 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जरिये मोबाईल श्री लालाराम कानि0 के मोबाईल पर कॉल कर सत्यापन के हालात बाबत वर्ता की तो श्री लालाराम कानि0 ने बताया कि ब्यूरो चौकी बाड़मेर से रवाना होकर कल दिनांक 26.08.2022 को मन् कानि0 सांचोर के रास्ते परिवादी श्री नागजीराम की के गांव कारलु तहसील भीनमाल जिला जालोर सायं 5.00 पीएम पर पहुचा, चूंकि भारी बारिश होने के कारण परिवादी के गांव तक पहुचने में समय लग गया। श्री लालाराम कानि0 ने बताया कि मैने गांव में पहुच परिवादी के मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क किया, जिस पर श्री नागजी अपने घर पर उपस्थित मिले, मैने अपना परिचय देकर उनका परिचय पूछने पर उन्हौने अपना नाम नागजी पुरोहित होना एवं उसके जायज कार्य को करने की एवज में लाईनमैन द्वारा रिश्वत की मांग करने के तथ्य बताये एवं एक बंद लिफाफा मन् कानि0 को प्रस्तुत करते हुए बताया कि उसके कृषि कनेक्शन को करने की एवज में श्री ब्रजकिशोर लाईनमैन द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है जिसके विरुद्ध कार्यवाही करवाने बाबत प्रार्थना पत्र उक्त लिफाफे में है, जिस पर मन् कानि0 द्वारा संदिग्ध श्री ब्रजकिशोर लाईनमैन द्वारा रिश्वत मांगने के सम्बंध में रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाने हेतु उसकी उपस्थिति ज्ञात करने का कहने पर परिवादी ने कॉल किया तो ब्रजकिशोर ने बताया कि मैं कल दिनांक 27.07.2022 को आपके घर पर प्रातः करीबन 11 बजे आ जाउंगा, जिस पर उस रोज रिश्वती राशि मांग सत्यापन नहीं होने से श्रीमान् से हुई वार्ता अनुसार मन् कानि0 परिवादी के घर पर ही गोपनीय रुप से मुकीम हुआ। दिनांक 27.07.2022 को प्रातः 11.00बजे तक श्री ब्रजकिशोर लाईनमैन के उपस्थित नहीं आने पर परिवादी ने अपने मोबाईल नम्बर 9649079998 से समय 11.28 ए0एम0 पर श्री ब्रजकिशोर लाईनमैन के मोबाईल नम्बर 7568047954 पर वार्ता की तो उसने बताया कि मैं करीबन दो घंटे बाद आ रहा हूँ। तत्पश्चात श्री ब्रजकिशोर लाईनमैन के उपस्थित

८m

नहीं आने पर पुनः 1.59 पी0एम0 पर परिवादी ने कॉल किया तो बताया कि मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। उसके बाद सायं करीबन 4.22 पी0एम0 पर श्री ब्रजकिशोर लाईनमैन ने अपने मोबाईल से परिवादी के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि मैं करीबन 20 मीनट में आपके पास आ रहा हूँ, आप घर ही हो, जिस पर परिवादी ने बताया कि मैं घर पर ही आपका इन्तजार कर रहा हूँ। कुछ देर बाद एक व्यक्ति परिवादी के घर की तरफ आता हुआ दिखाई दिया तो परिवादी ने मन् कानि0 को बताया यह आ रहा व्यक्ति ही श्री ब्रजकिशोर लाईनमैन है, जिस पर मन् कानि0 ने ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर को ऑपरेट करने की समझाईश कर ऑन कर परिवादी को अपने कार्य से सम्बंधित वार्ता करने एवं श्री ब्रजकिशोर लाईनमैन द्वारा रिश्वती की मांग करने पर उक्त वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सुपूर्द किया एवं मन् कानि0 परिवादी के घर में ही एक कमरे में अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम हुआ, जिस पर एक व्यक्ति परिवादी के घर में प्रवेश हुआ एवं परिवादी से घर के बरामदे में ही वार्ता करने लगा, जिसें मन् कानि0 ने परिवादी से वार्ता करते हुए देखा। करीबन 22–23 मीनट तक वार्ता करने के बाद उक्त व्यक्ति वहाँ से चला गया एवं परिवादी ने उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर मन् कानि0 को सुपूर्द किया, जिसे मन् कानि0 द्वारा स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे में लिया एवं परिवादी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन के सम्बंध में हुई वार्तालाप के सम्बंध में पूछने पर बताया कि श्री ब्रजकिशोर लाईनमैन ने मेरे से कहा कि आपने अपने बेटे से बात कर ली क्या, जिस पर मैने कहा कि बात की है, आपने पहले 40 हजार मांगे थे, अब आप 50 हजार मांग रहे हो, जिस पर उसने कहा कि आठ पोल व उसका सामान चाहिये, जिस पर मैंने कहा कि लड़के ने 40 हजार का कहा है और 05 हजार मैं ओर दे दूंगा। उसके बाद श्री ब्रजकिशोर लाईनमैन ने कहा कि मैं पैसे पूरे लूंगा, ट्रासंफारर्मर के अलावा सारा काम कर दूंगा, पूरे पैसे आने के बाद ट्रांसफारर्मर लगाउंगा, जिस पर मैने कहा कम्पलीट कितने देने, जिस पर उसके कहा कि पैंतालीस, मैं डबल नहीं बोलता, जिस पर मैने पेमेन्ट उसके एकाउन्ट में करवाने का बोलने पर उसने कहा कि मैं फोन पे नहीं चलाता, न ही मेरा यहाँ खाता है। उसके बाद वार्ता में मैने कहा कि अब आप बताओं आपको कितने दैने है, जिस पर उसने कहा कि पैंतालिस हजार। वार्ता के दौरान मैने उससे पूछा पैसे देने कब है, जिस पर उसने कहा कि बीस हजार रुपये आप जिस दिन लाईन कम्पलीट हो जाये उस दिन दे देना, पच्चीस हजार अब दे दो, जिस पर मैने अभी नहीं होने का कहा इत्यादि वार्ता हुई, जिसे मेरे द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड की गई। तत्पश्चात श्री लालाराम कानि0 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से वार्ता करवाने का कहने पर श्री लालाराम कानि0 ने अपने मोबाईल से परिवादी श्री नागजी से वार्ता करवाई, जिस पर परिवादी ने भी श्री लालाराम कानि0 द्वारा बताये गये तथ्यो की ताईद की एवं बताया कि मेरे पोल खड़े होने के बाद में श्री ब्रजकिशोर लाईनमैन मेरे से 25 हजार रुपये लेने आएगा, जिस पर मैं मेरे पोल खडे होते ही आपसे सम्पर्क कर आपके कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हो जाउंगा। परिवादी को अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी गई एवं श्री लालाराम कानि0 को चौकी हाजा पर उपस्थित होने एवं डिजिटल टेप रिकार्डर एवं बंद लिफाफा स्वयं की अभिरखा में सुरक्षित रखने बाबत निर्देशित किया गया।

दिनांक 30.07.2022 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाद राजकार्य में ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुआ। श्री लालाराम कानि0 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर एवं एक बंद लिफाफा प्रस्तुत किया। बंद लिफाफे को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं की अलमारी में सुरक्षित रखा एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन के हालात पूछने पर पूर्व में जरिये मोबाईल बताये तथ्य अवगत करवाये, जिस पर श्री लालाराम कानि0 द्वारा प्रस्तुत डिजिटल टेप रिकार्डर को ऑन कर सुनने पर श्री ब्रजकिशोर लाईनमैन द्वारा परिवादी से पहले 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर बाद में 45 हजार रुपये रिश्वत दो किस्तो में लेने की मांग करना पाया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं की अलमारी में रखकर अलमारी को लॉक किया। आईन्दा परिवादी के अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित आने पर परिवादी के समक्ष लिफाफा खोलकर अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया। अब तक के हालात से उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया गया एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्य राजकार्य में व्यस्त हुआ।

तत्पश्चात दिनांक 02.08.2022 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री नागजी को कॉल किया तो परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया कि श्री ब्रजकिशोर मीणा लाईनमैन से हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता अनुसार विद्युत विभाग ने कल मेरे खेत पर विद्युत पोल डाल दिये है एवं आज विद्युत पोल खडे करने का बोल रहे है, विद्युत पोल खडे करने के बाद वह रिश्वत राशि की मांग करेगा, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री नागजी को हिदायत दी गई आप विद्युत पोल खडे के बाद अग्रिम कार्यवाही हेतु ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होवे, ताकि अग्रिम कार्यवाही अमल मे लाई जा सके एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरते।

दिनांक 03.08.2022 को परिवादी श्री नागजी ने जरिये मोबाईल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से वार्ता कर अवगत करवाया कि विद्युत विभाग द्वारा मेरे खेत पर विद्युत पोल डाल दिये थे, किन्तु विद्युत पोल खडे नहीं करने पर मेरे द्वारा श्री ब्रजकिशोर मीणा लाईनमैन के मोबाईल पर सम्पर्क करने हेतु कॉल किया तो उसका मोबाईल स्वीच ऑफ आया, जिससे उससे वार्ता नहीं हो सकी। आज हमारे गांव के पूर्व श्री भंवरसिंह ने मुझे बताया कि आपने तहसील में लाईनमैन के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत की है, जिसमें आप राजीनामा करलो, जिस हेतु मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, जिस पर मैने कहा कि मैने कोई शिकायत नहीं की है। कुछ समय बाद श्री भंवरसिंह पूर्व सरपंच मेरे घर आए एवं बताया कि आपने श्री ब्रजकिशोर मीणा लाईनमैन की एसीबी जालोर में रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके कारण श्री ब्रजकिशोर मीणा अपने गांव चला गया है। अब आप राजीनामा करो एवं लिखित में

२।१५

दे दो कि श्री ब्रजकिशोर मीणा द्वारा आपसे जो राशि मांगी गई है वो ठेकेदार को विद्युत लाईन खिंचने की राशि थी, जिस पर मैने कहा कि मैने कोई शिकायत नहीं की है न ही मैं ऐसा कुछ लिखित में दूंगा, जिस पर मैने मेरे भतीज श्री रमेश से वार्ता की तो उसने भी कहा कि आप लिखित में कुछ मत देना, जिस पर मैने कुछ भी लिखित में नहीं दिया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री नागजी को अवगत करवाया कि आप ऐसी कोई लिखित न देकर अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 04.08.2022 को एसीबी चौकी बाड़मेर पर उपस्थित होवे, जिस पर परिवादी श्री नागजी ने बताया कि मैं कल दिनांक 04.08.2022 को प्रातः 11.00बजे तक आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। दर्ज रहे कि दिनांक 03.08.2022 को परिवादी से हुई वार्ता अनुसार आरोपी श्री ब्रजकिशोर मीणा लाईनमैन को प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही की शंका हो जाने से अब परिवादी एवं आरोपी के मध्य रिश्वती राशि का लेन–देन नहीं होने एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी के उपस्थित आने को देखते हुए स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बाड़मेर के नाम तेहरीर क्रमांक 1471 दिनांक 04.08.2022 मूर्तिब कर श्री ठाकराराम कानि0 145 को दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु रवाना किया गया। समय करीबन 11.20 ए0एम0 पर ब्यूरो चौकी बाड़मेर में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में परिवादी उपस्थित आया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनका परिचय पूछने पर स्वयं का परिचय नागजीराम पुत्र श्री तलसाजी जाति पुरोहित पैशा खेती निवासी कारलू तहसील जसवन्तपुरा जिला जालोर मोबाईल नम्बर 9649079998 होना बताया। तांबाद दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु श्री ठाकराराम कानि0 दो कार्मिको को साथ लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में उपस्थित हुए, जिस पर कार्मिको को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय देकर उनका परिचय पूछने पर अपना परिचय क्रमशः श्री तिलोकसिंह पुत्र श्री छुगसिंह जाति रावणा राजपूत उम्र 35 वर्ष पैशा नौकरी निवासी गांव जेसिंधर तहसील गड़रारोड़ जिला बाड़मेर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उपखण्ड़ गड़रारोड जिला बाड़मेर हाल प्रतिनियुक्ति कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, राईजेप बाड़मेर मोबाईल नम्बर 8696217208 एवं श्री दशरथसिंह पुत्र श्री ईश्वरसिंह जाति राजपूत उम्र 37 वर्ष पैशा नौकरी निवासी गांव चूली तहसील व जिला बाड़मेर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत बाड़मेर मोबाईल नम्बर 9001334768 होना बताया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मेरे कक्ष में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री नागजी का दोनो गवाहान से परिचय करवाया जाकर ब्यूरो चौकी पर तलब करने के मन्तव्य से अवगत करवाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान के रुबरु परिवादी श्री नागजी को रिश्वती राशि मांग सत्यापन एवं अब तक की कार्यवाही के सम्बंध में पूछने पर बताया कि पूर्व में आपसे हुई वार्ता की पालना मे आपकी चौकी के श्री लालाराम कानि0 दिनांक 26.07.2022 को सायं करीबन 5.00 पी0एम0 पर मेरे घर पर पहुचे, जिस पर मैने श्री ब्रजकिशोर मीणा लाईनमैन द्वारा मेरे कृषि कनेक्शन करने की एवज में मेरे से रिश्वत की मांग करने बाबत प्रार्थना पत्र बंद लिफाफे में प्रस्तुत किया। उसके बाद श्री ब्रजकिशोर लाईनमैन द्वारा रिश्वत मांगने के सम्बंध में रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाने हेतु उसकी उपस्थिति ज्ञात करने का श्री लालाराम कानि0 द्वारा मुझे कहने पर मैने श्री ब्रजकिशोर को कॉल किया तो ने बताया कि मैं कल दिनांक 27.07.2022 को आपके घर पर प्रातः करीबन 11 बजे आ जाउंगा, जिस पर उस रोज रिश्वती राशि मांग सत्यापन नहीं होने से श्री लालाराम कानि0 मेरे घर पर ही रुके थे। दिनांक 28.07.2022 को प्रातः 11.00 बजे तक श्री ब्रजकिशोर लाईनमैन के उपस्थित नहीं आने पर मैने उसके बाद दो बार पुनः कॉल किया तो उसने कहा कि मैं कुछ देर में आ रहा हूँ, किन्तु वह उपस्थित नहीं हुआ। सायं करीबन 4.22 पी0एम0 पर श्री ब्रजकिशोर लाईनमैन ने अपने मोबाईल से मेरे मोबाईल पर कॉल कर बताया कि मैं करीबन 20 मीनट में आपके पास आ रहा हूँ, आप घर ही हो, जिस पर मैने बताया कि मैं घर पर ही आपका इन्तजार कर रहा हूँ। कुछ देर बाद श्री ब्रजकिशोर मीणा लाईनमैन मेरे घर की तरफ आता हुआ दिखाई दिया तो मैने श्री लालाराम कानि0 को बताया कि उक्त आ रहा व्यक्ति ही श्री ब्रजकिशोर लाईनमैन है, जिस पर श्री लालाराम कानि0 ने एसीबी के डिजिटल टेप रिकार्डर को ऑपरेट करने की मुझे समझाईश कर ऑन कर मेरे कार्य से सम्बंधित वार्ता करने एवं श्री ब्रजकिशोर लाईनमैन द्वारा रिश्वती की मांग करने पर उक्त वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सुपूर्द किया एवं कानि0 मेरे घर में ही एक कमरे में अपनी उपस्थिति छुपाते हुए इंतजार में रहा, जिस पर मेरी श्री ब्रजकिशोर मीणा लाईनमैन से मेरे घर के बरामदे में ही वार्ता हुई एवं वार्ता करने के बाद श्री ब्रजकिशोर मीणा लाईनमैन वहाँ से चला गया। श्री ब्रजकिशोर मीणा लाईनमैन के वहाँ से जाने के बाद मैने एसीबी की डिजिटल टेप रिकार्डर को श्री लालाराम कानि0 को सुपूर्द किया, जिसे कानि0 द्वारा स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे में लिया एवं मैने रिश्वत राशि मांग सत्यापन के सम्बंध में हुई वार्तालाप के सम्बंध में श्री लालाराम कानि0 द्वारा पूछने पर उन्हें बताया कि श्री ब्रजकिशोर लाईनमैन ने मेरे से कहा कि आपने अपने बेटे से बात कर ली क्या, जिस पर मैने कहा कि बात की है, आपने पहले 40 हजार मांगे थे, अब आप 50 हजार मांग रहे हो, जिस पर उसने कहा कि आठ पोल व उसका सामान चाहिये, जिस पर मैने कहा कि लड़के ने 40 हजार का कहा है और 05 हजार मैं ओर दे दूंगा। उसके बाद श्री ब्रजकिशोर लाईनमैन ने कहा कि मैं पैसे पूरे लूंगा, ट्रासंफारर्मर के अलावा सारा काम कर दूंगा, पूरे पैसे आने के बाद ट्रांसफारर्मर लगाउंगा, जिस पर मैने कहा कम्पलीट कितने देने, जिस पर उसके कहा कि पैतालीस, मैं डबल नहीं बोलता, जिस पर मैने पेमेन्ट उसके एकाउन्ट में करवाने का बोलने पर उसने कहा कि मैं फोन पे नहीं चलाता, न ही मेरा यहाँ खाता है। उसके बाद वार्ता में मैने कहा कि अब आप बताओं आपको कितने देने है, जिस पर उसने कहा कि पैतालिस हजार। वार्ता के दौरान मैने उससे पूछा पैसे देने कब है, जिस पर उसने कहा कि बीस हजार रुपये आप जिस दिन लाईन कम्प्लीट हो जाये उस दिन दे देना, पच्चीस हजार अब दे दो, जिस पर मैने अभी नहीं होने का कहा इत्यादि वार्ता हुई, जिसे मेरे द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड की गई। मेरे द्वारा

बताये तथ्यो पर श्री लालाराम कानि0 द्वारा श्रीमान् को उक्त हालात जरिये मोबाईल बताये एवं मेरी भी आपसे वार्ता करवाई थी। मैने आपको बताया था कि मेरे पोल खड़े होने के बाद में श्री ब्रजकिशोर लाईनमैन मेरे से 25 हजार रुपये लेने आएगा, जिस पर मैं मेरे पोल खडे होते ही आपसे सम्पर्क कर आपके कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हो जाउंगा। तत्पश्चात श्री लालाराम कानि0 एसीबी का डिजिटल टेप रिकार्डर एवं बंद लिफाफा लेकर वहॉं से रवाना हो गये थे। तत्पश्चात दिनांक 03.08.2022 को मैने आपको जरिये मोबाईल वार्ता कर अवगत करवाया कि विद्युत विभाग द्वारा मेरे खेत पर विद्युत पोल डाल दिये थे, किन्तु विद्युत पोल खडे नहीं करने पर मेरे द्वारा दिनांक 02.08.2022 को श्री ब्रजकिशोर मीणा लाईनमैन के मोबाईल पर सम्पर्क करने हेतु कॉल किया तो उसका मोबाईल स्वीच ऑफ आया, जिससे उससे वार्ता नहीं हो सकी। कुछ समय बाद हमारे गांव के पूर्व सरपंच श्री भंवरसिंह ने मुझे बताया कि आपने तहसील में लाईनमैन के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत की है, जिसमें आप राजीनामा करलो, जिस हेतु मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, जिस पर मैने कहा कि मैने कोई शिकायत नहीं की है। कुछ समय बाद श्री भंवरसिंह पूर्व सरपंच मेरे घर आए एवं बताया कि आपने श्री ब्रजकिशोर मीणा लाईनमैन की एसीबी जालोर में रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके कारण श्री ब्रजकिशोर मीणा अपने गांव चला गया है। अब आप राजीनामा करो एवं लिखित में दे दो कि श्री ब्रजकिशोर मीणा द्वारा आपसे जो राशि मांगी गई है वो ठेकेदार को विद्युत लाईन खिंचने की राशि थी, जिस पर मैने कहा कि मैने कोई शिकायत नहीं की है न ही मैं ऐसा कुछ लिखित में दूंगा, जिस पर मैने मेरे भतीज श्री रमेश से वार्ता की तो उसने भी कहा कि आप लिखित में कुछ मत देना, जिस पर मैने कुछ भी लिखित में नहीं दिया एवं इस बाबत आपको सूचित किया था, जिस पर आपने मुझे ऐसी कोई लिखित न देकर अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 04.08.2022 को एसीबी चौकी बाड़मेर पर उपस्थित हेतु पाबंध किया था, जिस पर मैं आज आपके कार्यालय में अग्रिम कानूनी कार्यवाही हेतु उपस्थित हुआ हुँ। रुबरु गवाहान परिवादी द्वारा श्री लालाराम कानि0 को पूर्व में एक बंद लिफाफे में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मेरे द्वारा सम्बंधितान के समक्ष खोलने पर श्री नागजीराम ने बताया कि उक्त शिकायत उसके द्वारा स्वयं के साक्षर होने एवं हस्ताक्षर करने की जानकारी होने के कारण अपने भतीजे श्री रमेश से लिखवाई जाकर उस पर स्वयं के हस्ताक्षर किये है, जिस पर उक्त प्रार्थना पत्र को पढ़कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी परिवादी के रुबरु पढ़वाया गया एवं दोनो स्वतंत्र गवाह के रुबरु पुनः परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अलमारी में से डिजिटल टेप रिकार्डर निकालकर परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के रुबरु चालू कर सुना गया तो उक्त वार्ता में रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता का होना एवं परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो की पुष्ठि हुई, जिस पर परिवादी के उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतंत्र गवाह ने भी बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्रदान करते हुए अपने-अपने हस्ताक्षर किये एवं परिवादी से भी इस सम्बंध में वार्ता कर तसल्ली की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व उसके संलग्न परिवादी के नाम विद्युत विभाग का डिमाण्ड नोटिस बुक नम्बर 6978 रसीद नम्बर 86 राशि 18075 दिनांक 15.01.2021 को शामिल रनिंग नोट किया गया। ताबाद प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री नागजीराम राम एवं आरोपी श्री ब्रजकिशोर मीणा लाईनमैन के मध्य दिनांक 27.07.2022 को रुबरु हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त वार्ता को रूबरू दोनो स्वतंत्र मौतबिरान एवं परिवादी के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडीयॉ तैयार की जाकर एक सी0डी0 को मूल मानते हुये कपडो की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। आरोपी श्री ब्रजकिशोर मीणा लाईनमैन की आवाज की पहचान परिवादी श्री नागजीराम द्वारा की गई। दोनो सी0डी0 को श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 नं0 62 को सुपूर्द कर सुरक्षित जमा मालखाना करवाई गई।

इस प्रकार ब्यूरो चौकी की प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में परिवादी के कथनानुसार आरोपी श्री ब्रजकिशोर मीणा, लाईनमैन को परिवादी द्वारा करवाई जाने वाली ट्रेप कार्यवाही की शंका होने से अग्रिम रिश्वती राशि लेन-देन होना सम्भव नहीं होने से अब तक की कार्यवाही अनुसार आरोपी ब्रजकिशोर मीणा, लाईनमेन जोधपुर डिस्कॉम जसवन्तपुरा जिला जालोर द्वारा परिवादी श्री नागजी के कृषि कनेक्शन करने की एवज में 45,000रुपये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टाया अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का अपराध कारित करना पाया गया। सेवा विवरण /रेकर्ड अनुसार उक्त आरोपी का नाम व पदनाम ब्रजमोहन मीना, लाईनमैन (तकनीकी सहायक द्वितीय) ग्राम साविधर होना पाया गया।

अतः आरोपी श्री ब्रजमोहन मीना पुत्र श्री किशनलाल मीना जाति मीना उम्र 43 साल पेशा नौकरी निवासी आमलीपुरा पोस्ट गुदाचन्द्रजी, तहसील नादौती जिला करौली हाल लाईनमैन (तकनिकी सहायक द्वितीय) ग्राम साविधर, कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जोधपुर डिस्कॉम जसवन्तपुरा, जिला जालोर के विरुद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावे।

भवदीय,

(रामनिवास)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बाड़मेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रामनिवास, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री ब्रजमोहन मीना पुत्र श्री किशनलाल मीना, ग्राम-साविधर लाईनमैन (तकनिकी सहायक-द्वितीय) कार्यालय सहायक अभियंता (पवस) जोधपुर डिस्कॉम जसवन्तपुरा, जिला जालोर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 350/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 3044-48 दिनांक 7.9.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. अधीक्षण अभियंता(पवस), जोधपुर डिस्कॉम, जालोर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।